संख्या- 03/2019/24/22-4-19-127(ब)/99

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 28 जनवरी, 2019

विषय- नवसृजित जनपद कुशीनगर में जिला कारागार के निर्माण के लिए भूमि क्रय करने हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-444/नम-3/44/2018, दिनांक 07.01.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-01/2018/1384/22-4-18-127(ब)/99, दिनांक 03.01.2019 द्वारा नवसृजित जनपद कुशीनगर में जिला कारागार के निर्माण हेतु ग्राम-लमुहा, भटवलिया, मजरा केवल छपरा एवं केवल छपरा में स्थित चयनित काश्तकारों की 24.660 हे0 भूमि के क्रय हेतु रू0 40,98,77,290/-(रूपया चालिस करोड़ अट्ठान्नवे लाख सतहत्तर हजार दो सौ नब्बे मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संगत मद में व्यवस्थित धनराशि रू0 20,00,00,000/- (रूपया बीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है।

3- उक्त निर्गत शासनादेश को संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय नवसृजित जनपद कुशीनगर में जिला कारागार के निर्माण हेतु ग्राम-लमुहा, भटवलिया, मजरा केवल छपरा एवं केवल छपरा में स्थित चयनित काश्तकारों की 24.660 हे0 भूमि के क्रय हेतु रू0 46,29,64,360/-(रूपया छियालिस करोड़ उन्तीस लाख चौसठ हजार तीन सौ साठ मात्र) जिसमें पूर्व स्वीकृति धनराशि रू0 5,30,87,070/- भी निहित है, को समायोजित करते हुए प्रशासकीय स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में संगत मद में प्राविधानित धनराशि रू0 20,00,00,000/- (रूपया बीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) मानक के अनुसार भूमि क्रय किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य के सम्बन्ध में संतुष्ट हो लेंगे।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों/शासनादेशों में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार धनराशि स्वीकृत किये जाने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार उ0प्र0 का होगा।

(4) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में रखी जायेगी एवं नियमानुसार केवल वास्तविक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरित की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2019 तक कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-00-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-09-नवसृजित जनपदों में कारागारों के निर्माण हेतु एक मुश्त व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य" मद के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई0-12-84/दस/2019, दिनांक-22 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-**03**/2019/24(1)/22-4-2019-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी, कुशीनगर।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in